न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 19, मेरठ।

उपस्थित– रमेश कुशवाहा (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPME010025192026

फौजदारी निगरानी संख्या– 123/2023

1– सतवीर पुत्र श्री जसवन्त आयु करीब 52 वर्ष
2– कृष्ण पुत्र श्री जसवन्त आयु करीब 49 वर्ष
3– भूषण पुत्र श्री जसवन्त आयु करीब 47 वर्ष
निवासीगण देवी मन्दिर सरधना कस्बा व थाना सरधना जिला मेरठ।
4– महेन्द्र पुत्र जयपाल आयु करीब 52 वर्ष
5– देवेन्द्र पुत्र जयपाल आयु करीब 47 वर्ष
निवासीगण ग्राम अटेरना थाना सरधना जिला मेरठ।

––––––प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण।

बनाम

1.–सतपाल पुत्र बीरबल निवासी ग्राम अटेरना थाना सरधना जिला मेरठ।

–––––– विपक्षी।

–निर्णय–

1– उपरोक्त दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्तागण सतवीर आदि की ओर से विपक्षी सतपाल के विरुद्ध विद्वान न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.) न्यायिक मजिस्ट्रेट सरधना, मेरठ द्वारा परिवाद सं० 293/2023 सतपाल बनाम सतवीर आदि अं० धारा 427, 504, 506 भा.द.सं. थाना सरधना जिला मेरठ में पारित आदेश दिनांकित 04.02.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है।

2– प्रश्नगत आलोच्य आदेश दिनांकित 04.02.2025 के द्वारा विद्वान अपर सिविल जज (जू.डि.) न्यायिक मजिस्ट्रेट सरधना, मेरठ ने उपरोक्त वर्णित वाद में अभियुक्तगण को धारा 427, 504, 506 भा.द.सं. के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया था। उक्त से क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी योजित की गयी है।

3– प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष आलोच्य आदेश की वैधानिकता प्रश्नगत करते हुए प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया कि विपक्षी/परिवादी ने अपने परिवाद पत्र की धारा 1 में कथन किया है कि दिनांक 27.09.2023 को समयकरीब दोपहर 2 बजे जब प्रार्थी अपनी पुत्रवधुओं भावना व सविता के नामांकित खसरा सं० 111 व 113 स्थित ग्राम नंगला ऑर्डर, परगना तहसील सरधना जिला मेरठ में खडी गन्ना की फसल देखने के लिये गया तो सतबीर, कृष्ण, भूषण पुत्रगण जसवन्त निवासीगण देवी मन्दिर, सरधना कस्बा व थाना सरधना जिला मेरठ व प्रार्थी के गांव के ही महेन्द्र व देवेन्द्र इन्द्रपाल पुत्रगण जयपाल व मोहित पुत्र इन्द्रपाल व दीपक पुत्र महेन्द्र एक राय मश्विरा होकर प्रार्थी की पुत्रवधुओं की खडी गन्ने की फसल को गिरा रहें थें 'प्रार्थी ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन सभी लोगों ने प्रार्थी के साथ गाली गलौच की तथा लात घूसों से मारपीट करने लगा तथा प्रार्थी के कुर्ते की जेब में रखे दो हजार रुपये जबरदस्ती सतबीर ने तमंचा दिखाकर लूट लिये तथा सभी लोग कहने लगें कि साले ज्यादा तीन पांच की तो तुझे जान से मारकर नहर में फेंक देगें, शोर शराब की आवाज सुनकर आस पास के किसान आ गयें। जिन्हें देखकर यह लोग यह कहते हुए कि साले राजपूत के आज तो तू बच गया है, भविष्य में

तुझे जान से मार देगें। यदि तू यहां खेतों पर आया, यह सारी जमीन हमारी हैं। तुझे इसे खरीदकर अपने परिवार को मौत के मुहं में डाल दिया है। हम तुझे व तेरे परिवार को मुकदमें में फंसायेगे और तुझे बतायेंगे कि जमीन कैसे खरीदते है। जिससे प्रार्थी काफी भयभीत है। जोकि यह कथन पूर्ण रुप से असत्य हैं। यदि फौजदारी निगरानीकर्तागण उपरोक्त घटना परिवादी के साथ घटित करते तो परिवादी द्वारा उसी समय पुलिस सहायता हेतु 112 नम्बर पर कॉल की जाती। विपक्षी/परिवादी द्वारा पत्रावली पर घटना के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य दाखिल नही किये है।यह कि विपक्षी/परिवादी अपने परिवाद पत्र में साक्षीगण कालू व कंवरपाल का घटनास्थल पर उपस्थित होना नही बताता है। अभियुक्त सतवीर आदि व विपक्षी परिवादी के मध्य उपरोक्त खसरा सं0–111 व 113 की जमीन पर रास्ता/चकरौड को लेकर विवाद चल रहा है। उक्त जमीन परिवादी की पुत्रवधु ने कालू व कवंरपाल से खरीदी है। जो उपरोक्त परिवाद में गवाह बने हैं। उक्त सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा 156 (3) सी०आर०पी०सी० के प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान सरधना थाने से प्राप्त की। जिसमे थाना सरधना ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित की कि "निवेदन है कि उक्त प्रकरण की जांच मुझ द्वारा की गयी तो वाक्यात इस प्रकार है कि आवेदक सतपाल उपरोक्त का विपक्षी सतवीर पुत्र जसवन्त सिंह निवासी देवी मन्दिर कस्बा व थाना सरधना जिला मेरठ के साथ रास्ते (चकरौड) का विवाद चल रहा है। जिसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध प्रार्थना पत्र आये दिन प्रेषित कर रहें हैं। रास्ते का प्रकरण उच्च अधिकारी/शासन/प्रशासन के संज्ञान में चल रहा हैं।" यह कि रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त खसरा सं0– 111 व 113 जो कि विवादित है के संबंध में माननीय इलाहाबाद में सिविल वाद विचाराधीन हैं। विपक्षी/परिवादी सतपाल तथा गवाह कालू व कंवरपाल (पूर्व भूस्वामी) अभियुक्तगण के खिलाफ षडयंत्र कर सिविल मामले को फौजदारी मामलें में परिवर्तित करना चाहते हैं। जिससे निगरानीकर्ता उनके दबाव में आकर सिविल वाद में कोई कार्यवाही न कर सकें। विपक्षी/परिवादी ने माननीय अवर न्यायालय में अन्तर्गत धारा 204 सी०आर०पी०सी० के अनिवार्य प्रावधानों का भी पालन नही किया है तथा निगरानीकर्ता के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा समन जारी कर दिये गये है। इस आधार पर तलबी आदेश के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना के कारण स्वतः त्रुटिपूर्ण है और खण्डित किये जाने योग्य हैं। किसी भी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है। जिससे उक्त घटना स्वतः ही सन्देह के घेरे में आ रही है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि फौजदारी निगरानी स्वीकार कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि विरुद्ध तलबी आदेश दिनांकित 04.02.2025 को खण्डित करने की कृपा करें।

4– प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा अपनी निगरानी के तर्कों के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निगरानीकर्ता कृष्णपाल का शपथ पत्र कागज सं० 4ख, विद्वान अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट सरधना, मेरठ का आदेश पत्रक कागज सं० 5ख/2, वकालतनामा कागज सं० 6ख, निगरानीकर्ता का आधार कार्ड कागज सं० 6ख/2 प्रपत्र प्रस्तुत किये गये।

5– विपक्षी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए आलोच्य आदेश का बचाव किया तथा यह भी कथन किया कि आलोच्य आदेश में ऐसी कोई अवैधता, अशुद्धता, तात्विक अनियमितता अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है, जिससे उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। विद्वान अवर न्यायालय का कथित आदेश विधि के अनुरूप है। अतः निगरानीकर्तागणकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानीकर्तागण निरस्त किया जाये।

6– मेरे द्वारा निगरानीकर्तागण की ओर उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं० 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 04.02.2025 का सम्यक अवलोकन किया।

7– **धारा–397 दं०प्र०सं०** के अनुसार निगरानीकर्तागण न्यायालय, अवर न्यायालय द्वारा पारित किसी दण्डादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में तथा किन्हीं

कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में विचार करने हेतु निगरानीकर्तागण शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

8– प्रस्तुत निगरानीकर्तागण याचिका के निराकरण हेतु मुख्य अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या आलोच्य आदेश दिनांक 04.02.2025 के निष्कर्ष में शुद्धता, वैधता, या औचित्य अथवा कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में किसी त्रुटि के आधार पर हस्तक्षेप किये जाने योग्य है।

9– **<u>धारा–204 दं०प्र०सं०</u>** के विधि प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि विधि द्वारा परिवाद वादों में समन न करने या समन करने के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट को विस्तृत शक्ति प्रदत्त की गयी है। मजिस्ट्रेट परिवादी की ओर से साक्षियों के शपथ पर किये गये कथनों पर (यदि कोई हों), और धारा–202 दं०प्र०सं० के अधीन जाँच या अन्वेषण (यदि कोई हों) के परिणाम पर, विचार करने के पश्चात पर्याप्त आधार दर्शित होने पर अन्तर्गत धारा–204 दं०प्र०सं० किसी अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन या वारण्ट यथास्थिति जारी करेगा या पर्याप्त आधार दर्शित न होने पर अन्तर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० खारिज करेगा।

शब्द "पर्याप्त आधार" से तात्पर्य न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग के उपरांत कायम मजिस्ट्रेट की राय से है। मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को न्यायालय में समन करने या न करने के सम्बन्ध में विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण के तथ्यो पर तो विचार करना ही चाहिए, साथ ही साथ लाये गये निष्कर्ष के आधार का भी उल्लेख अपने आदेश में करना चाहिए।

10– इस बिन्दु पर न्यायिक विनिश्चय **अनिल सरन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य AIR 1996 SC 204**, के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–204 के अन्तर्गत आदेशिका जारी किये जाने के लिए आवश्यक बात यह है कि अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की राय में परिवाद में उल्लिखित आरोपों के आधारों पर प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तथा इस चरण पर इस बात पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त दोषी है या नहीं, या उसे क्या बचाव उपलब्ध हो सकते है।

इसी प्रकार **शिवाजी सिंह बनाम नागेन्द्र तिवारी एवं अन्य (2010) 3 SCC (Cri.) 452** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि "पर्याप्त आधार" (Sufficient ground) का अर्थ यह है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है न कि उनके दोषसिद्ध हेतु पर्याप्त आधार होना चाहिए।

यदि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है, तो उन्हें समन करने का अधिकार विद्वान मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। घटना सत्य है या असत्य, इस स्तर पर निर्णीत नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की निर्णयज विधि **भूषण कुमार बनाम राज्य (एन०सी०टी०) दिल्ली 2012 सी०आर०एल० जे० पेज 2286 सु०न्यायालय**, का अवलोकन किया, जिसमें यह धारित किया गया है कि यदि मामले में कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का आधार पर्याप्त है, तो धारा–204 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रोसेस जारी किये जाने की शक्तियां न्यायालय को प्राप्त है। प्रोसेस जारी करते समय मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक नहीं है कि वह समन जारी करने का विस्तृत निष्कर्ष व कारण अभिलिखित करे। यदि कार्यवाही किये जाने के लिए पर्याप्त आधार है तो समन जारी किया जा सकता है।

11– उक्त के सम्बन्ध में अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 04.07.2023 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि *"परिवादी द्वारा स्वयं को धारा 200 द०प्र०सं० व धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कालू पुत्र रामचंद्र व कदरपाल पुत्र रामचंद्र की साक्ष्य अंकित करायी तथा अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल की गयी है। परिवादी द्वारा अपने साध्य धारा 200 दं०प्र०सं० व धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत करायी गयी साक्ष्य में विपक्षीगण 1. सतबीर पुत्र जसवंत, 2. कृष्ण पुत्र जसवंत, 3 भूषण पुत्र जसवंत, 4. महेन्द्र पुत्र जयपाल, 5. देवेन्द्र पुत्र जयपाल*

पर परिवादी द्वारा विपक्षीगण पर परिवादी की पुत्र वधुओं की खड़ी गन्ना की फसल को नष्ट करने, गाली–गलौच करने, मारपीट करने व जान से मारने का आरोप लगाया गया है। इस स्तर पर परिवादी की ओर से उपलब्ध करायी गयी साक्ष्य तथा परिवाद के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय मतानुसार अभियुक्तगण 1 सतबीर पुत्र जसवंत. 2. कृष्ण पुत्र जसवंत, 3. भूषण पुत्र जसवंत, 4. महेन्द्र पुत्र जयपाल, 5. देवेन्द्र पुत्र जयपाल के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मात्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा–427.504,506 भारतीय दंड सहितः के अन्तर्गत अपराध गठित होना प्रतीत होता है। तदनुसार अभियुक्तगण 1. सतबीर पुत्र जसवत, 2. कृष्ण पुत्र जसवंत, 3 भूषण पुत्र जसवंत, 4. महेन्द्र पुत्र जयपाल, 5 देवेन्द्र पुत्र जयपाल को विचारण हेतु तलब किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अभियुक्तगण 1. सतबीर पुल जसवंत. 2. कृष्ण पुत्र जसवंत, 3. भूषण पुत्र जसवत, 4. महेन्द्र पुत्र जयपाल. 5. देवेन्द्र पुत्र जयपाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–427,504,506 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत विचारण हेतु जरिए समन दिनांक 04.03.2025 के लिए परियादी द्वारा आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह किए जाने पर, तलब किया जाए। परिवादी गवाहान सूची परवी के साथ दाखिल करें।"

12– इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि–

i. यह फौजदारी निगरानीकर्तागण धारा 397/399 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (वर्तमान में धारा 438/441 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के समतुल्य सिद्धान्त) के अन्तर्गत पुनरीक्षणीगण द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना, जनपद मेरठ द्वारा परिवाद संख्या 293/2023, सतपाल बनाम सतवीर आदि, थाना सरधना, जनपद मेरठ, में पारित समन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख से विदित है कि मूल प्रकरण का उद्भव धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से हुआ, जिसे परिवाद के रूप में पंजीकृत कर धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवादी एवं उसके साक्षियों के कथन अंकित किए गए। तत्पश्चात विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर पुनरीक्षणीगण को विचारण हेतु तलब करने का आदेश पारित किया गया, जिसकी वैधानिकता एवं औचित्य को इस निगरानीकर्तागण में चुनौती दी गई है। अतः इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आलोच्य समन आदेश विधि, अभिलेखीय सामग्री तथा स्थापित न्यायिक सिद्धान्तों की कसौटी पर वैध एवं टिकाऊ है अथवा उसमें पुनरीक्षणीय हस्तक्षेप अपेक्षित है।

ii. निगरानीकर्तागण याचिका में मुख्यतः यह आधार ग्रहण किया गया है कि विवादित सम्पत्ति के संबंध में पक्षकारों के मध्य पूर्व से राजस्व न्यायालयों में वाद लंबित रहा है तथा उक्त भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे का प्रश्न राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहा। अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निर्णय पारित किया गया तथा तत्पश्चात उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका भी विचाराधीन है। पुनरीक्षणियों का कथन है कि उक्त राजस्व विवाद को अनावश्यक रूप से आपराधिक स्वरूप प्रदान कर परिवाद संस्थित किया गया है। पुलिस द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में भी प्रकरण को मूलतः भूमि विवाद मानते हुए कोई संज्ञेय अपराध परिलक्षित न होने की रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। इसके उपरान्त भी विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करते हुए पर्याप्त एवं स्वतंत्र कारण अभिलिखित किए बिना, केवल परिवादी एवं उसके साक्षी के कथनों के आधार पर यांत्रिक रूप से समन आदेश पारित कर दिया, जो विधि एवं स्थापित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः आलोच्य आदेश को

अवैध, मननहीन (non–speaking) तथा न्यायिक विवेक के समुचित प्रयोग से रहित बताते हुए निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

iii. निगरानीकर्तागण के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुनने एवं सम्पूर्ण मूल अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 27.09.2023 को पुनरीक्षणीगण द्वारा विवादित कृषि भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल काटने, विरोध करने पर मारपीट करने, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने, जान से मारने की धमकी देने तथा ₹2,000/– छीन लेने की घटना कारित की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण की जाँचोपरान्त विवाद को भूमि एवं स्वामित्व संबंधी विवाद मानते हुए संज्ञेय अपराध का पर्याप्त आधार न पाए जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गई। तत्पश्चात परिवाद के रूप में कार्यवाही करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट ने धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवादी तथा धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्षी के कथनों का अभिलेखन किया और उपलब्ध सामग्री के आधार पर पुनरीक्षणीगण को तलब करने का आदेश पारित किया। अतः इस निगरानीकर्तागण का परीक्षण इसी सीमा तक किया जाना अपेक्षित है कि आलोच्य समन आदेश पारित करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथमदृष्टया न्यायिक संतोष विधिसम्मत रूप से अभिलिखित किया गया है अथवा नहीं, क्योंकि निगरानीकर्तागण न्यायालय इस स्तर पर साक्ष्यों का सूक्ष्म मूल्यांकन अथवा परीक्षण नहीं कर सकता, बल्कि केवल आदेश की वैधानिकता, न्यायिक मनन तथा अधिकारिता का परीक्षण कर सकता है। यह सिद्धान्त निर्णयज विधि **Amit Kapoor v. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460, Bhushan Kumar v. State (NCT of Delhi), (2012) 5 SCC 424** तथा **Pepsi Foods Ltd. v. Special Judicial Magistrate, (1998) 5 SCC 749** में प्रतिपादित किया गया है।

iv. उक्त परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्तागण न्यायालय की अधिकारिता धारा 397/399 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अत्यन्त सीमित है। निगरानीकर्तागण न्यायालय न तो अपीलीय न्यायालय की भाँति सम्पूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और न ही इस स्तर पर अभियोजन अथवा प्रतिरक्षा के साक्ष्यों की विश्वसनीयता अथवा सत्यता का परीक्षण कर सकता है। उसका दायित्व केवल यह परीक्षण करना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अधिकारिता संबंधी त्रुटि, विधि का प्रत्यक्ष उल्लंघन, न्यायिक मनन का अभाव, अथवा ऐसी स्पष्ट अवैधता, अनियमितता या भौतिक त्रुटि विद्यमान है या नहीं, जिसके कारण न्याय के हित में हस्तक्षेप आवश्यक हो। समन जारी करने के चरण पर न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि परिवाद, धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों तथा उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री से अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथमदृष्टया अपराध का आधार विद्यमान है या नहीं; इस अवस्था में साक्ष्यों की ग्राह्यता, प्रतिरक्षा की संभावित दलीलों अथवा विवादित तथ्यों का विस्तृत परीक्षण करना विधिसम्मत नहीं है। इस विधिक सिद्धान्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयज विधि **Nagawwa v. Veeranna Shivalingappa Konjalgi, (1976) 3 SCC 736; Pepsi Foods Ltd. v. Special Judicial Magistrate, (1998) 5 SCC 749; Bhushan Kumar v. State (NCT of Delhi), (2012) 5 SCC 424;** तथा **Amit Kapoor v. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460** में स्पष्ट रूप से

प्रतिपादित किया है। अतः प्रस्तुत निगरानीकर्तागण का परीक्षण भी उपर्युक्त सीमित न्यायिक मापदण्डों के आलोक में किया जाना अपेक्षित है।

v. उपरोक्त तथ्यों, निगरानीकर्तागण में लिए गए आधारों, आलोच्य समन आदेश तथा उपलब्ध सम्पूर्ण अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं—

(i) क्या विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य समन आदेश दिनांक 04.02.2025 धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेखीय सामग्री के सम्यक् न्यायिक परीक्षण (Application of Judicial Mind) पर आधारित है, अथवा वह यांत्रिक (Mechanical) एवं कारणविहीन (Non-speaking) आदेश है?

(ii) क्या पक्षकारों के मध्य पूर्व से लंबित राजस्व/दीवानी विवाद, पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य राजस्व अभिलेखों के आलोक में प्रस्तुत परिवाद मात्र दीवानी विवाद को आपराधिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास है, अथवा उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया धारा 427, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का गठन परिलक्षित होता है?

(iii) क्या आलोच्य समन आदेश में ऐसी कोई विधिक त्रुटि, अधिकारिता संबंधी दोष, स्पष्ट अवैधता अथवा भौतिक अनियमितता विद्यमान है, जिसके कारण धारा 397/399 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग कर हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है?

उपर्युक्त विचारणीय बिन्दु परस्पर सम्बद्ध होने के कारण, अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने हेतु उनका संयुक्त रूप से परीक्षण एवं निर्णय किया जाता है।

vi. विचारणीय बिन्दुओं के परीक्षण से पूर्व यह विधिक सिद्धान्त उल्लेखनीय है कि समन जारी करने की कार्यवाही किसी अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया का प्रारम्भिक किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण है। अतः समन आदेश न्यायिक विवेक के समुचित प्रयोग पर आधारित होना चाहिए तथा उससे यह परिलक्षित होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने परिवाद, धारा **200** एवं **202** दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभिलिखित कथनों तथा उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री का सम्यक् परीक्षण कर प्रथमदृष्टया संतोष प्राप्त किया है। यद्यपि इस स्तर पर विस्तृत निर्णय अथवा साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण अपेक्षित नहीं होता, तथापि आदेश पूर्णतः यांत्रिक अथवा रूढ़िबद्ध **(stereotyped)** भी नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयज विधि **Pepsi Foods Ltd. v. Special Judicial Magistrate, (1998) 5 SCC 749** में प्रतिपादित किया है कि किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में तलब करना अत्यन्त गंभीर न्यायिक कार्य है और मजिस्ट्रेट को उपलब्ध सामग्री पर स्वतंत्र रूप से विचार कर न्यायिक संतोष अभिलिखित करना आवश्यक है। इसी प्रकार **Sunil Bharti Mittal v. CBI, (2015) 4 SCC 609** में यह प्रतिपादित किया गया कि किसी अभियुक्त को समन करने से पूर्व न्यायालय के आदेश से न्यायिक मनन **(application of judicial mind)** स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। साथ ही निर्णयज विधि **Bhushan Kumar v. State (NCT of Delhi), (2012) 5 SCC 424** में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समन आदेश कोई विस्तृत निर्णय नहीं होता; यदि आदेश एवं अभिलेख से यह स्पष्ट हो कि मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथमदृष्टया अपराध के गठन का संतोष प्राप्त किया है, तो मात्र संक्षिप्तता के आधार पर आदेश को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अतः प्रस्तुत निगरानीकर्तागण में आलोच्य समन आदेश का परीक्षण इन्हीं स्थापित विधिक सिद्धान्तों की कसौटी पर किया जाना अपेक्षित है।

vii. यदि उपर्युक्त विधिक सिद्धान्तों के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण के अभिलेखों का परीक्षण किया जाए, तो यह निर्विवाद रूप से परिलक्षित होता है कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के स्वामित्व, कब्जे एवं मार्ग के संबंध में पूर्व से ही राजस्व न्यायालयों में कार्यवाहियाँ लंबित रही हैं। अभिलेख पर उपलब्ध उपजिलाधिकारी के आदेश, अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा पारित निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका से यह तथ्य पुष्ट होता है कि भूमि संबंधी विवाद पूर्ववर्ती है। पुलिस द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना–पत्र पर की गई जांच में भी विवाद को मुख्यतः भूमि एवं राजस्व प्रकृति का माना गया तथा संज्ञेय अपराध का पर्याप्त आधार न पाए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तथापि, यह भी उतना ही स्थापित विधिक सिद्धान्त है कि केवल इस आधार पर कि पक्षकारों के मध्य दीवानी अथवा राजस्व विवाद लंबित है, यदि परिवाद एवं धारा 200 तथा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों से किसी आपराधिक कृत्य के आवश्यक तत्व प्रथमदृष्टया परिलक्षित होते हों, तो आपराधिक कार्यवाही को केवल सिविल विवाद का रूप देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयज विधि **Indian Oil Corporation v. NEPC India Ltd., (2006) 6 SCC 736, Mohd. Ibrahim v. State of Bihar, (2009) 8 SCC 751** तथा **Sau. Kamal Shivaji Pokarnekar v. State of Maharashtra, (2019) 14 SCC 350** में प्रतिपादित किया है कि सिविल एवं आपराधिक दायित्व परस्पर अपवर्जक नहीं हैं; यदि उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया आपराधिक अपराध का गठन होता है, तो केवल समानांतर सिविल अथवा राजस्व विवाद के आधार पर अभियोजन को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अतः इस न्यायालय को यह परीक्षण करना है कि उपलब्ध परिवाद, धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों तथा अन्य अभिलेखीय सामग्री से प्रथमदृष्टया आरोपित अपराधों के आवश्यक अवयव परिलक्षित होते हैं अथवा नहीं; न कि यह कि अंततः अभियोजन आरोप सिद्ध कर सकेगा या नहीं।

viii. अब यदि प्रस्तुत प्रकरण की अभिलेखीय सामग्री का समग्र परीक्षण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि परिवादी ने अपने धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन में पुनरीक्षणियों द्वारा विवादित भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल काटने, विरोध करने पर गाली–गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित साक्षी ने भी उक्त घटना का समर्थन किया है। यद्यपि पुनरीक्षणियों द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कथन असत्य, परस्पर विरोधाभासी तथा पूर्ववर्ती राजस्व विवाद से प्रेरित हैं, तथापि इस स्तर पर निगरानीकर्तागण न्यायालय के लिए साक्षियों की विश्वसनीयता, कथनों की सत्यता अथवा प्रतिरक्षा में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणिकता का सूक्ष्म परीक्षण करना विधिसम्मत नहीं है। समन जारी करने के चरण पर न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया आरोपित अपराधों के आवश्यक तत्व परिलक्षित होते हैं अथवा नहीं। साक्षियों के कथनों में विद्यमान कथित विरोधाभास, स्वतंत्र साक्षियों का अभाव, पुलिस रिपोर्ट की प्रासंगिकता अथवा राजस्व अभिलेखों का अंतिम प्रभाव ऐसे प्रश्न हैं, जिनका निर्णय विचारण के दौरान साक्ष्य के पूर्ण परीक्षण के उपरान्त ही किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयज विधि **Sonu Gupta v. Deepak Gupta, (2015) 3 SCC 424** तथा **Dy. Chief Controller of Imports & Exports v. Roshanlal Agarwal, (2003) 4 SCC 139** में स्पष्ट किया है कि समन जारी करने के चरण पर न्यायालय को अभियोजन की सफलता अथवा विफलता का पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए तथा न ही प्रतिरक्षा के संभावित साक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। इसलिए केवल इस आधार पर कि पुनरीक्षणियों ने अपने पक्ष में राजस्व अथवा अन्य

दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, आलोच्य समन आदेश को अवैध नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि आदेश में स्पष्ट विधिक त्रुटि अथवा न्यायिक मनन का अभाव परिलक्षित न हो।

ix. पुनरीक्षणियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना–पत्र पर की गई जांच में किसी संज्ञेय अपराध का पर्याप्त आधार नहीं पाया गया तथा विवाद को मुख्यतः भूमि एवं स्वामित्व संबंधी विवाद माना गया था, अतः विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त पुलिस रिपोर्ट की उपेक्षा करते हुए समन आदेश पारित करना विधि–विरुद्ध है। उक्त तर्क का परीक्षण करने पर यह विधिक स्थिति निर्विवाद रूप से स्थापित है कि धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में प्राप्त पुलिस रिपोर्ट अथवा प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट पर बाध्यकारी नहीं होती। यदि मजिस्ट्रेट परिवाद, धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभिलिखित कथनों तथा उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री के आधार पर स्वतंत्र न्यायिक संतोष प्राप्त करता है कि प्रथमदृष्टया अपराध का गठन होता है, तो वह पुलिस रिपोर्ट से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विधिसम्मत रूप से सक्षम है। यद्यपि ऐसी स्थिति में यह अपेक्षित है कि आदेश से यह परिलक्षित हो कि मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध सामग्री का स्वतंत्र परीक्षण कर न्यायिक मनन किया है। प्रस्तुत प्रकरण में आलोच्य समन आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवाद, धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभिलिखित कथनों तथा उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री के अवलोकन के उपरान्त प्रथमदृष्टया धारा 427, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का गठन होना अभिलिखित करते हुए समन आदेश पारित किया है। इस स्तर पर यह न्यायालय आदेश की पर्याप्तता अथवा साक्ष्यों की गुणवत्ता का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि निगरानीकर्तागण की अधिकारिता अपीलीय अधिकारिता के समतुल्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयज विधि **Abhinandan Jha v. Dinesh Mishra, AIR 1968 SC 117, H.S. Bains v. State (Union Territory of Chandigarh), (1980) 4 SCC 631,** तथा **India Carat Pvt. Ltd. v. State of Karnataka, (1989) 2 SCC 132** में प्रतिपादित किया है कि मजिस्ट्रेट पुलिस की राय से आबद्ध नहीं है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर स्वतंत्र न्यायिक संतोष प्राप्त कर विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है। अतः मात्र पुलिस रिपोर्ट पुनरीक्षणियों के पक्ष में होने से आलोच्य समन आदेश स्वतः अवैध या हस्तक्षेप योग्य नहीं हो जाता।

x. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विधिक सिद्धान्तों के सम्यक् परीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षणियों द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख, राजस्व न्यायालयों के आदेश, पुलिस जांच रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज मुख्यतः उनके प्रतिरक्षा के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेख हैं। यह स्थापित विधिक सिद्धान्त है कि समन जारी करने अथवा उसके विरुद्ध निगरानीकर्तागण के स्तर पर न्यायालय प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता, वैधता अथवा उनके साक्ष्यात्मक मूल्य का विस्तृत परीक्षण नहीं कर सकता। ऐसे दस्तावेजों की प्रमाणिकता एवं प्रभाव का परीक्षण विचारण के दौरान, दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही किया जा सकता है। यदि इस प्रारम्भिक अवस्था में प्रतिरक्षा के विवादित तथ्यों अथवा दस्तावेजों के आधार पर अभियोजन की सत्यता का परीक्षण किया जाने लगे, तो वह विधि द्वारा निर्धारित विचारण प्रक्रिया का पूर्ववर्ती निर्णय **(pre–trial adjudication)** होगा, जिसकी अनुमति दण्ड प्रक्रिया संहिता नहीं देती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयज विधि **State of Orissa v. Debendra Nath Padhi, (2005) 1 SCC 568** में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि आरोप गठन अथवा उससे पूर्व की अवस्था में अभियुक्त सामान्यतः अपने प्रतिरक्षात्मक दस्तावेजों के आधार पर अभियोजन को

विफल नहीं कर सकता। इसी प्रकार निर्णयज विधि **R.P. Kapur v. State of Punjab, AIR 1960 SC 866, Amit Kapoor v. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460** तथा **CBI v. Arvind Khanna, (2019) 10 SCC 686** में यह सिद्धान्त दोहराया गया है कि प्रारम्भिक चरण पर न्यायालय को प्रतिरक्षा के विवादित तथ्यों का मूल्यांकन करने से बचना चाहिए। अतः पुनरीक्षणियों द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख, विक्रय विलेख अथवा अन्य दस्तावेज इस स्तर पर समन आदेश को अवैध सिद्ध करने का स्वतः आधार नहीं बनते, जबकि परिवाद एवं धारा 200 तथा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों से प्रथमदृष्टया आरोपित अपराधों के आवश्यक तत्व परिलक्षित होते हैं।

xi. उपर्युक्त समस्त तथ्यों, अभिलेखीय सामग्री तथा स्थापित विधिक सिद्धान्तों के समग्र परीक्षण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य समन आदेश में ऐसा कोई अधिकारिता संबंधी दोष, प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि, भौतिक अनियमितता अथवा न्यायिक मनन का अभाव परिलक्षित नहीं होता, जिससे पुनरीक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग कर उसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। आदेश से यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवाद, धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभिलिखित कथनों तथा उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री का अवलोकन करने के उपरान्त प्रथमदृष्टया यह संतोष व्यक्त किया कि पुनरीक्षणियों के विरुद्ध धारा 427, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का प्रथमदृष्टया गठन होता है। इस स्तर पर आरोपों की सत्यता, साक्षियों की विश्वसनीयता, पुलिस रिपोर्ट की अंतिम प्रमाणिकता, राजस्व अभिलेखों की वैधता अथवा प्रतिरक्षा में प्रस्तुत दस्तावेजों का साक्ष्यात्मक मूल्य परीक्षण का विषय नहीं है, अपितु इन सभी प्रश्नों का निर्णय विचारण के दौरान विधिसम्मत साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। निगरानीकर्तागण न्यायालय का दायित्व केवल आदेश की वैधानिकता एवं न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता का परीक्षण करना है, न कि अपीलीय न्यायालय की भाँति सम्पूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयज विधि **Amit Kapoor v. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460, Sonu Gupta v. Deepak Gupta, (2015) 3 SCC 424, Bhushan Kumar v. State (NCT of Delhi), (2012) 5 SCC 424** तथा **Sau. Kamal Shivaji Pokarnekar v. State of Maharashtra, (2019) 14 SCC 350** में भी यही प्रतिपादित किया है कि यदि प्रथमदृष्टया अपराध का आधार उपलब्ध हो तथा आदेश में न्यायिक संतोष परिलक्षित होता हो, तो निगरानीकर्तागण अथवा प्रारम्भिक स्तर पर न्यायालय को हस्तक्षेप से विरत रहना चाहिए। **निगरानीकर्तागण के द्वारा अपने निगरानी में जिन अन्य तथ्यों का हवाला दिया गया है, उनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि इन तथ्यों का विश्लेषण निगरानी के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। यह साक्ष्य का विषय है, जिसको विचारण के समय देखा जा सकता है।** इसके अलावा ऐसा कोई महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु नहीं दर्शाया जा सका है, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धित त्रुटि अथवा अनियमितता परिलक्षित हो। फलतः विचारणीय बिन्दुओं का निर्णय पुनरीक्षणियों के विरुद्ध एवं परिवादी के पक्ष में किया जाता है।

xii. निर्णयज विधि **रियासत अली बनाम उ०प्र० राज्य 1992 क्रि०लॉ ज० 1217 (इलाहाबाद)** में धारित किया गया है कि–मजिस्ट्रेट का यह समाधान होना चाहिए कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है, या नहीं, और अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, या नहीं। इसके अतिरिक्त जब परिवाद में अन्तर्विष्ट आरोपों से कोई अपराध प्रकट होता है और वे आरोप धारा–200 दं०प्र०सं० के साक्ष्य पर कायम रहते हैं तथा मजिस्ट्रेट

का समाधान हो जाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश में निगरानी न्यायालय द्वारा आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। निर्णयज विधि **अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र** (2012) 9 SCC 460 (para) 20 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि Revisional Jurisdiction U/s 397 Cr.P.C. very limited & is to be exercised on question of law.

निर्णयज विधि **जगराज सिंह बनाम वीरपाल कौर** AIR 2007 SC 2083 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि Merit of the case not to be discussed when court has no Jurisdiction.

उपर्युक्त समस्त विवेचना, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना, जनपद मेरठ द्वारा परिवाद संख्या 293/2023, सतपाल बनाम सतवीर आदि में पारित समन आदेश दिनांक 04.02.2025 किसी ऐसी प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि, अधिकारिता संबंधी दोष, न्यायिक मनन के अभाव अथवा भौतिक अनियमितता से ग्रस्त नहीं है, जिससे इस न्यायालय द्वारा धारा 397/399 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक अथवा न्यायोचित हो। आलोच्य आदेश उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री पर आधारित प्रथमदृष्टया न्यायिक संतोष का परिणाम है तथा इस अवस्था पर साक्ष्यों का सूक्ष्म मूल्यांकन अथवा प्रतिरक्षा के दस्तावेजों का परीक्षण विचारण न्यायालय का विषय है। अतः प्रस्तुत फौजदारी निगरानीकर्तागण निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत फौजदारी निगरानीकर्तागण निरस्त किया जाता है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना, जनपद मेरठ द्वारा परिवाद संख्या 293/2023 में पारित समन आदेश दिनांक 04.02.2025 की पुष्टि की जाती है।पक्षकार अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.08.2026 को उपस्थित हो।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति नियमानुसार विद्वान अवर न्यायालय को, अवर न्यायालय की पत्रावली सहित अविलम्ब प्रेषित की जाये। निगरानीकर्तागण पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार में दाखिल की जाए।

दिनांक 20.07.2026

(रमेश कुशवाहा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–19, मेरठ।
जे०ओ० कोड 1795

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर सुनाया गया।

दिनांक 20.07.2026

(रमेश कुशवाहा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–19, मेरठ।
जे०ओ० कोड 1795

This is uncertified copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.

Digitally signed by RAMESH KUSHWAHA
Date: 2026.07.20 17:16:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court